भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4529

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2026

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम

4529. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हालिया बजट घोषणाओं के पश्चात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समय पर भुगतान और नकदी में सुधार हेतु ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) मंच को सुदृढ़ करने में क्या प्रगति हासिल हुई है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनबोर्ड किए गए एमएसएमई की संख्या, वित्तपोषित कुल चालान मूल्य तथा भुगतान चक्र में हुई औसत कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) तथा पात्र निजी संस्थाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और चालान डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत ऋण गारंटी सहयोग का विस्तार करने के लिए आगे और उपाय करने का विचार है;

(घ) ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के तहत पंजीकृत एमएसएमई तथा किए गए लेन-देन का कर्नाटक के संबंध में विशेष आंकड़ों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मंच के अंतर्गत कर्नाटक में एमएसएमई के बीच जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेडस) डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्य में कई वित्तपोषकों के माध्यम से निधियन की सुविधा प्रदान की जाती है। बजट घोषणाओं 2026 को लागू करने के लिए, कार्रवाई योग्य सिफारिशों की पहचान करने, ट्रेडस इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु घोषित उपायों को चालू करने के लिए, भारत सरकार ने उद्योग संघों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, वित्तीय संस्थानों और ट्रेडस प्लेटफार्मों जैसे हितधारकों के साथ परामर्श की कार्रवाई शुरू की है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने कार्यान्वयन प्रकार्यों और नीति समर्थकों की जांच करने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया।

(ख) : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किया गया है, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2023-24 से 2025-2026 में, दिनांक 28.02.2026 तक) के दौरान, कुल 1,46,179 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि एक उद्यम को एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जा सकता है। इसी अवधि के दौरान कुल 6,77,072.67 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया गया है।

जैसा कि रिसीवेब्लस एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) द्वारा सूचित किया गया है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर और अहमदाबाद विश्वविद्यालय से "ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम का प्रभाव आकलन" नामक एक अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि ट्रेडस प्लेटफॉर्म पर भागीदारी एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के प्राप्य चक्र को औसतन लगभग 23% अंक तक कम कर देती है।

(ग) : बजट घोषणा 2026 में एमएसएमई को अधिक नकदी उपलब्धता के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर सहभागिता के विस्तार के लिए, निम्नलिखित चार मुख्य उपायों की घोषणा की गई है:

i. सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से सभी खरीददारी के लिए ट्रेड्स को निपटान मंच के रूप में अधिदेशित करना, जो अन्य कॉर्पोरेट के लिए एक बेंचमार्क होगा।
ii. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए सीजीटीएमएसई समर्थित क्रेडिट गारंटी सहायता शुरू करना।
iii. सरकारी एमएसएमई खरीददारी के संबंध में फाइनेंसरों के साथ सूचना-साझा करने में सुविधा प्रदान करने हेतु ट्रेड्स के साथ जेम को एकीकृत करना ताकि तीव्र और किफायती ऋण की सुविधा प्रदान की जा सके।
iv. द्वितीयक बाजार को बड़ा करने, नकदी उपलब्धता में सुधार करने और तीव्रगामी निपटान के लिए ट्रेड्स प्राप्यों को संपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियां के रूप में शुरू करना।

(घ) : जैसा कि ट्रेडस प्लेटफॉर्म द्वारा सूचित किया गया है, सभी राज्यों में ट्रेडस पर ऑनबोर्ड किए गए एमएसएमई की संख्या लगभग 1.98 लाख है और अब तक वित्तपोषित कुल राशि 8.29 लाख करोड़ रुपए है। कर्नाटक राज्य में ट्रेडस पर ऑनबोर्ड किए गए एमएसएमई की संख्या 13,365 है और वित्तपोषित कुल राशि 55,806.25 करोड़ रुपए है। राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में हैं।

(ङ) : जैसा कि ट्रेडस प्लेटफॉर्म द्वारा सूचित किया गया है, कर्नाटक राज्य सहित पूरे भारत में ट्रेडस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने और उनके जागरुकता वर्धन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई संघ सक्रिय रूप से जागरूकता में शामिल हैं।

अनुबंध I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4529, जिसका उत्तर दिनांक 19.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**ऑनबोर्ड किए गए एमएसएमई**	**कुल वित्तपोषित इनवॉइस मूल्य (करोड़ रुपए में)**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	81	77.56
2.	आंध्र प्रदेश	5,411	18,723.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	43	38.98
4.	असम	1,254	2,330.48
5.	बिहार	2,871	10,792.77
6.	चंडीगढ़	336	1,336.67
7.	छत्तीसगढ़	3,558	23,038.3
8.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	600	5626.87
9.	दिल्ली	12,813	65,688.28
10.	गोवा	637	1,934.11
11.	गुजरात	19,334	93,448.11
12.	हरियाणा	10,556	47,157.87
13.	हिमाचल प्रदेश	974	4,325.01
14.	जम्मू और कश्मीर	724	1,770.66
15.	झारखंड	3,172	19,726.46
16.	कर्नाटक	**13,365**	**55,806.25**
17.	केरल	2,092	5,311.7
18.	लद्दाख	14	4
19.	मध्य प्रदेश	7,997	22,125.47
20.	महाराष्ट्र	35,127	1,62,410.6
21.	मणिपुर	39	350.77
22.	मेघालय	50	299.35
23.	मिजोरम	20	52.03
24.	नागालैंड	32	49.9
25.	ओडिशा	3,531	14,491.91
26.	पुडुचेरी	224	876.08
27.	पंजाब	3,851	20,217.21
28.	राजस्थान	12,276	37,998.03
29.	सिक्किम	52	80.39
30.	तमिलनाडु	18,110	60,850.87
31.	तेलंगाना	10,971	41,256.2
32.	त्रिपुरा	66	44.38
33.	उत्तर प्रदेश	15,658	47,282.36
34.	उत्तराखंड	1,821	8,461.79
35.	पश्चिम बंगाल	10,608	54,840.86
	कुल	**1,98,268**	**8,28,825.99**